249

[2019] 6 एस. सी. आर. 249

ए.

नागजी ओधवजी कुंभार और ए. एन. आर. बनाम.

गुजरात राज्य

(2009 की आपराधिक अपील No.880) अप्रैल 23,2019

बी.

[संजय किशन कौल और हेमंत गुप्ता**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860:

एसएस।302 और 324 आर/डब्ल्यू एस।34 – अभियोजन-दो व्यक्तियों की मृत्यु और दो को चोटें-अभियुक्त द्वारा प्राप्त चोटें-अभियुक्त द्वारा क्रॉस-केस-नीचे की अदालतों द्वारा दोषसिद्धि में, याचिका में कहा गया है कि अभियुक्त ने निजी बचाव में और पल भर में बिना पूर्व-ध्यान के काम किया-आयोजित किया गयाःइस बात का कोई सबूत नहीं है कि मृतक किसी भी हथियार से लैस थे-घायल गवाहों के साक्ष्य को देखते हुए कि आरोपी भाले और अन्य हथियारों से लैस थे और चूंकि मृतक सशस्त्र नहीं थे, इसलिए अभियुक्त को निजी बचाव का अधिकार उपलब्ध नहीं है-अभियुक्त का कार्य भी पूर्व-ध्यान के बिना पल भर में नहीं कहा जा सकता है-इसलिए, वे एस से दोषसिद्धि के परिवर्तन के भी हकदार नहीं हैं।302 से एस।304 – दोषसिद्धि यू/एस।302 बरक़रार रखा।

सी.

डी.

ई.

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा**,**

पकड़नाः**1.** अभियोजन पक्ष ने वादी पीडब्लू**-3** के बयान के साथ**-**साथ पीडब्लू**-4** के बयान पर भी भरोसा किया है जो घायल गवाह हैं।पीडब्लू**-2,** अभियोजन पक्ष के गवाहों पर चोटों को साबित करने के लिए डॉक्टर की जांच की गई है।यह अभि**.**सा**. 3** का बयान है जिसके कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई कि अपीलार्थीगण जिनकी संख्या **7** से **8** थी**,** उन्होंने गवाहों को चुनौती दी।अपीलार्थीगण के पास भाला था**,** अभियुक्त के पास कुल्हाड़ी थी और अन्य के पास डंडे थे।उन्होंने मृतक और दोनों घायल गवाहों पर भाले और कुल्हाड़ी से हमला किया।**[**पारस **12,13] [254-**एफ**-**एच**]2.** अपीलार्थीगण ने क्रॉस प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की है।अपीलार्थीगण की ओर से इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जब उन्होंने रिपोर्ट

दर्ज कराई थी, तो पहले संस्करण में मृतक किसी भी हथियार से लैस थे।निजी रक्षा का अधिकार नहीं है

एफ.

जी.

एच.

249 ए.

250 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 6 एस. सी. आर.

उपलब्ध है जब कथित हमलावर निहत्थे हों।निजी रक्षा का अधिकार व्यक्ति और संपत्ति की रक्षा करना है।ऐसे अधिकार में, व्यक्ति व्यक्ति और संपत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक से अधिक नुकसान नहीं पहुंचा सकता है।मृतक के हाथों से क्या नुकसान की उम्मीद की जा सकती है जब वे निहत्थे थे, जबकि पीडब्लू-**3** और पीडब्लू-**4** की गवाही से, घायल गवाह, अपीलार्थीगण भाले और अन्य हथियारों से लैस थे।पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट एक मौखिक गवाही की पुष्टि करती है कि दोनों मृतकों को चाकू के घाव मिले हैं।इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थीगण ने अपने निजी बचाव के अधिकार में काम किया है।चूँकि मृतक सशस्त्र नहीं थे, इसलिए अपीलार्थीगण निजी बचाव के अधिकार के हकदार नहीं हैं। **[**पैरा **15,17] [255-**ए-डी; **256-**ए**]**

बी.

सी.

जांगीर सिंह बनाम पंजाब राज्य **2018 (15)** स्केल **88**

– प्रतिष्ठित।

3. चूंकि मृतक की छाती पर कई घाव हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थीगण ने बिना पूर्व-ध्यान के तुरंत कार्रवाई की है और अपीलार्थीगण ने कोई फायदा नहीं उठाया है या क्रूर या असामान्य तरीके से काम नहीं किया है।यह एक भी चोट का मामला नहीं है जिसका अनुमान अचानक लड़ाई के कारण लगाया जा सकता है।इसलिए, अपीलार्थीगण भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा **304** के तहत दोषी ठहराए जाने के हकदार नहीं हैं क्योंकि उन्होंने मृतक के महत्वपूर्ण हिस्सों पर कई चोटें दी हैं।निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा **307** के तहत अपराध के लिए अपीलार्थीगण को दोषी ठहराने और सजा देने में कानून में पूरी तरह से न्यायसंगत था। **[**पैरा **18] [256-**ए-सी**]**

डी.

ई.

मामला कानून संदर्भ

एफ.

2018 (15) स्केल **88**

प्रतिष्ठित

पैरा **7**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2009 की आपराधिक अपील सं. 880।

1990 के आपराधिक अपील सं. 234 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 1 के निर्णय और आदेश से।

जी.

रवि प्रकाश मेहरोत्रा, अंकित अग्रवाल, सुश्री दीप्ति आर. मेहरोत्रा, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

सुश्री जेसल वाही (सुश्री हेमंतिका वाही के लिए), प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता।

एच.

251

नागजी ओधवजी कुंभार और ए. एन. आर. बनाम.गुजरात राज्य ए

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता**,** जे।

1. वर्तमान अपील में चुनौती अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को दी गई है, जिसमें भूरा गोविंद और लाखा अर्जन की मौत के लिए अपीलार्थीगण के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 और 324 के तहत अपराधों के लिए दोषसिद्धि बनाए रखी गई है।

बी.

2. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 1 जुलाई 1987 को ग्राम प्रेमपारा-रामपारा में लगभग 12 आधी रात को अपीलार्थीगण ने भूरा गोविंद और लाखा अर्जन को भाले आदि से घायल कर दिया और गंभीर चोटों के कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।प्राथमिकी 2 जुलाई 1987 को सुबह 7 बजे दर्ज की गई थी और अपीलार्थीगण को 17 जुलाई 1987 को

गिरफ्तार किया गया था।घटना का कारण यह है कि अपीलार्थीगण मृतक को मार्ग का अधिकार नहीं दे रहे थे।वादी पक्ष ने दीवानी मुकदमा दायर किया था जिसमें उनके पक्ष में निषेधाज्ञा दी गई थी।अपीलार्थीगण ने एक परस्पर विरोधी मामला भी दायर किया जो 1987 का सत्र मामला संख्या 97 है।

सी.

डी.

3. जाँच पूरा होने के बाद, अपीलार्थीगण पर मुकदमा चलाया गया।अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 324 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, लेकिन अपराध के लिए कोई अलग सजा नहीं दी गई है।

4. वर्तमान अपील में, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मृतक और उनके सहयोगी, संख्या में 9, हमलावर थे।दोनों अपीलार्थीगण को चोटें लगी हैं।ऐसी चोटों को पीडब्लू-10, डॉ. निखिलकुमार बुच द्वारा साबित किया गया है जो संबंधित समय में सिविल अस्पताल, जूनागढ़ में तैनात थे।अपीलार्थीगण 02.07.1987 से 17.07.1987 तक अस्पताल में रहे हैं।अपीलार्थीगण को अपनी भूमि के कब्जे की रक्षा करते हुए गंभीर चोटें आई हैं, इस प्रकार, उन्होंने निजी रक्षा के अपने अधिकार में काम किया है।

ई.

एफ.

5. विकल्प में यह भी तर्क दिया गया है कि घटना बिना किसी पूर्व-ध्यान के पल भर में हुई है और अपीलार्थीगण का कोई फायदा नहीं उठाया गया है या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य नहीं किया गया है, इसलिए, भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत अपराधों के लिए अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है।वास्तव में, धारा 304 (भाग II) के तहत अपराध को अपराध माना जा सकता है।अपीलार्थीगण 11 वर्ष से अधिक के वास्तविक कारावास से गुजरे हैं, इसलिए, यदि अपीलार्थीगण धारा 304 (भाग II) के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाते हैं, तो वे रिहा होने के हकदार होंगे।

जी.

एच.

धारा 304 (भाग 2) के तहत अपराध के लिए अधिकतम 10 साल की सजा के रूप में लगाई जा सकने वाली सजा को पूरा किया।

6. यह तर्क जांच अधिकारी पी. डब्ल्यू.-13, मुरलीधर वासु के बयान पर आधारित है।उन्होंने अपदस्थ किया कि अपीलार्थी संख्या 1 मौके पर पड़ा हुआ था और खून बह रहा था।यह भी तर्क दिया जाता है कि वजीबाई, अपीलार्थी नं. 1, बचाव पक्ष के गवाह के रूप में पूछताछ की गई है।उसने उस अपीलार्थी नं. 1 घर आया और उसे सूचित किया कि 9 लोगों ने दोनों अपीलार्थीगण पर हमला किया है और यह वही है जिसने घटना के बारे में पुलिस को फोन किया था।यह भी तर्क दिया जाता है कि अपीलार्थीगण की शिकायत के आधार पर दर्ज किए गए क्रॉस मामले की अलग से जांच की गई और मुकदमा चलाया गया।इस प्रकार, प्राथमिक तर्क यह है कि घटना तत्काल घटित होने के कारण, भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 307 के तहत किसी अपराध के लिए अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि समर्थनीय नहीं है।7. अपीलार्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता निर्णय पर निर्भर करता है

बी.

सी.

इस न्यायालय का**,** जहांगीर सिंह बनाम पंजाब राज्य **1** में**,**

निजी बचाव को मूल्यवान अधिकार पाया गया और इस अधिकार को संकीर्ण रूप से नहीं लिया जाना चाहिए।

डी.

8. इससे पहले कि हम अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क पर विचार करें, अपीलार्थी सं. 1 (Ex.12), जिनका PW-10-डॉ. निखिलकुमार बुच द्वारा सुबह 5.15 बजे 02.07.1987 पर परीक्षण किया गया था, वे इस प्रकार हैं:

ई.

“डी/ई (1) सीएलडब्ल्यू सिर के मध्य भाग पर 21/2 "एक्स 1/2" एक्स हड्डी के गहरे ऊर्ध्वाधर तक।

(2) अग्र-भुजा पीठ के मध्य भाग 1 "X1/4" X से लेकर मांसपेशियों के गहरे तिरछे घाव तक।

एफ.

(3) लेफ्टिनेंट फोरमैन की पीठ के ऊपरी हिस्से में 3/4 "X1/4" X से लेकर हड्डी के गहरे ऊर्ध्वाधर तक घाव को चीरें।

(4) आर. टी. ईयर बैक 11/2 "एक्स 1/4" एक्स 1/4 "ऊर्ध्वाधर मार्ग पर सी. एल. डब्ल्यू.।(5) आर. टी. कान का 3/4 वां निचला हिस्सा काट लें।

(6) आर. टी. अग्र-भुजा 9 फ्रैक्चर की सूजन और कोमलता।(7) लेफ्टिनेंट पिंडली के निचले भाग पर घर्षण 1 "X1/2" ऊर्ध्वाधर (8) लेफ्टिनेंट रिंग फिंगर के समीपस्थ फालेंक्स का 9 फ्रैक्चर।

जी.

1 2009 की आपराधिक अपील संख्या 2499 ने 31.10.2018 A पर निर्णय लिया

एच.

253

नागजी ओधवजी कुंभार और ए. एन. आर. बनाम.गुजरात राज्य [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

चोट का कारण-चोट संख्या 2,3,5 किसी नुकीली काटने वाली वस्तु से लगी है।

चोट सं. 1,4,6,7,8 किसी कठोर और कुंद वस्तु से लगी हैं।”9. अपीलार्थी के संबंध में सं।2, पीडब्लू-10-डॉ. निखिलकुमार बुच (Ex.11) के अनुसार उन्हें जो चोटें आई हैं, वे इस प्रकार हैं:

बी.

“सी/ओ पर आधी रात को हमला किया गया

ओ/ई 1) सिर के सामने वाले हिस्से में 2 "x1/2" x से लेकर हड्डी के गहरे ऊर्ध्वाधर तक घाव को चीरें।

2) लेफ्ट फ्रंट आर्म के निचले हिस्से में बाहरी तरफ 1 "x1/4" x1/4 "ऊर्ध्वाधर घाव।

सी.

3) लेफ्टिनेंट अग्र-भुजा के निचले हिस्से में घाव 1⁄2 "x1/4" x1/4 "तिरछा।

4) आर. टी. पिंडली के निचले भाग 1 "x1/2" x1/4 "ऊर्ध्वाधर पर घाव को चीरें।5) जांघ के ऊपरी बाहरी हिस्से पर 2 "व्यास की सूजन और कोमलता।

डी.

6) लेफ्टिनेंट अग्र-भुजा 9 फ्रैक्चर की सूजन और कोमलता।

चोट का कारण-चोट संख्या 1 से 4 किसी नुकीली काटने वाली वस्तु से होती है।

ई.

चोट संख्या 5 और 6 किसी कठोर और कुंद वस्तु से लगी हैं।”10. मृतक-भूरा गोविंद की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में महत्वपूर्ण हिस्सों पर चोटें दिखाई देती हैं।चोट छाती पर लगी है।ये चोटें इस प्रकार हैंः

एफ.

“1. एक पॉकेट घाव, नंबर 3 की पसली के स्थान पर, जो चोट बीच के हिस्से में बाईं छाती में थी जो घाव 22 इंच x 1 इंच क्षैतिज और 7 इंच गहराई का था, जो तिरछा था।2. एक पॉकेट घाव, बाईं पीठ के हिस्से में डेढ़ इंच x आधा इंच ढाई इंच गहराई था।

जी.

3. एक शरीर के बाईं ओर पॉकेट था।जो 1 इंच x आधा इंच x डेढ़ इंच के आकार में तिरछा था।

बाईं तीसरी पसली में चोट नंबर 1 पर फ्रैक्चर हो गया था।ये सभी चोटें मृत्यु से पहले की थीं।जिनसे संबंधित चोटें इस प्रकार थींः-

एच.

1. फेफड़ों की परत को चोट संख्या 1 के स्थान पर आगे और पीछे काट दिया गया था।

2. दाहिने फेफड़ों में, चोट नं। 2, घाव फैला हुआ था।जो निचले लिब तक फैला हुआ था।

3. बाएँ फेफड़ों के ऊपरी भाग में सामने से पीछे की ओर सीधा घाव था।जो चोट सं. के अनुरूप घाव था।1. फेफड़ों और धमनी की नस और श्वासनली को काट दिया गया था।छाती के बाईं ओर हवा थी और खून इकट्ठा/एकत्र किया जाता था।”

बी.

11. लाखा अर्जन के मृत शरीर पर चोटें इस प्रकार हैंः“1. बाएँ हाथ के कंधे पर, एक जेब का घाव, जो 1 इंच x 0.5 इंच गहराई का तिरछा था।

सी.

2. एक पॉकेट घाव, बगल के नीचे बाईं ओर घाव ढाई इंच x 1 इंच x 6 इंच था, जो क्षैतिज तरफ जा रहा था।

डी.

उनका कहना है कि ये चोटें मृत्यु से पहले की थीं।उनका कहना है कि मृतक के शरीर पर संबंधित चोटें थीं जो इस प्रकार थीं:-

1. बाएं फेफड़ों की परत को चोट संख्या 2 के स्थान पर काट दिया गया था।बाएँ फेफड़ों के श्वासनली पर ऊपरी भाग, बाएँ फेफड़ों के ऊपरी भाग को काट दिया गया था।बाएँ फेफड़ों को कड़ा किया गया और उसमें हवा थी और खून इकट्ठा किया गया था।

ई.

2. फेफड़ों की नस और धमनी काट दी गई थी।"

12. अभियोजन पक्ष ने वादी पीडब्लू-3, रामाभाई राजन के बयान के साथ-साथ पीडब्लू-4 गोविंदभाई पुनाभाई के बयान पर भी भरोसा किया है जो घायल गवाह हैं।अभियोजन पक्ष के गवाहों पर चोटों को साबित करने के लिए पीडब्लू-2 डॉ. गोविंदभाई लखमनभाई से पूछताछ की गई है।13. वास्तव में, घटना के समय दो गवाहों की उपस्थिति गंभीर रूप से विवादित नहीं है।यह अभि.सा. 3 का बयान है जिसके कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई कि अपीलार्थीगण जो संख्या में 7 से 8 थे, उन्होंने लगभग 12 रात को 01.07.1987 पर गवाहों को चुनौती दी।अपीलार्थीगण के पास भाला था, हंसराज के पास कुल्हाड़ी थी और अन्य के पास डंडे थे।उन्होंने मृतक और दोनों घायल गवाहों पर भाले और कुल्हाड़ी से हमला किया।

एफ.

जी.

एच.

255

नागजी ओधवजी कुंभार और ए. एन. आर. बनाम.गुजरात राज्य [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

ए.

14. विद्वत विचारण न्यायालय ने हंसराज को संदेह का लाभ प्रदान किया जबकि अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया। 15.अपीलार्थीगण ने क्रॉस प्रथम सूचना रिपोर्ट, Ex.23 दर्ज की है।अपीलार्थीगण की ओर से इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जब उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तो पहले संस्करण में मृतक किसी भी हथियार से लैस थे।जब कथित हमलावर निहत्थे होते हैं तो निजी बचाव का अधिकार उपलब्ध नहीं होता है।निजी रक्षा का अधिकार व्यक्ति और संपत्ति की रक्षा करना है।ऐसे अधिकार में, व्यक्ति व्यक्ति और संपत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक से अधिक नुकसान नहीं पहुंचा सकता है।मृतक के हाथों से क्या नुकसान की उम्मीद की जा सकती है जब वे निहत्थे थे, जबकि पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 की गवाही से, घायल गवाह,

अपीलार्थीगण भाले और अन्य हथियारों से लैस थे।पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट एक मौखिक गवाही की पुष्टि करती है कि दोनों मृतकों को चाकू के घाव मिले हैं।इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थीगण ने अपने निजी बचाव के अधिकार में काम किया है।16. जहांगीर सिंह मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि निजी बचाव की ऐसी याचिका में सफल होने के लिए, यह साबित किया जाना चाहिए कि निजी बचाव का अधिकार मृत्यु का कारण बना।उक्त निर्णय इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि आरोपी और मृतक पंजाब होम गार्ड में स्वयंसेवक थे और दोनों के पास 0.003 की सेल्फ-लोडिंग राइफलें थीं।लगभग 15 मिनट तक पैसे उधार लेने के संबंध में उनकी बहस हुई, जिसके बाद अपीलार्थी ने मृतक पर गोली चला दी जिससे उसकी जान चली गई।अदालत ने पाया कि मृतक और अपीलार्थी दोनों एक-दूसरे से 10 फीट की दूरी पर खड़े होकर आमने-सामने बहस कर रहे थे।चेहरे के भावों को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी ने मृतक द्वारा उस पर राइफल को निशाना बनाने के तथ्य से आसन्न खतरे को महसूस किया।वर्तमान मामले में, मृतक के पास कोई हथियार नहीं था जो अपीलार्थीगण की ओर से दिए गए पहले बयान से स्पष्ट है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

17. यह तर्क कि अपीलार्थीगण में से एक जांच अधिकारी के बयान के आधार पर घटना स्थल पर खून से लथपथ पड़ा था, किसी भी विचार के योग्य नहीं है।अपीलार्थीगण का पहला संस्करण यह है कि मृतक सशस्त्र नहीं थे।मृतक के साथ कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है जिसने अपीलार्थीगण के व्यक्ति को चोट पहुँचाई हो।हालाँकि, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मृतक के साथ कौन लोग थे और किस हथियार के साथ थे और उनकी भूमिका क्या है।ऐसा पहलू वर्तमान मुकदमे का विषय नहीं है।प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में अलग से परीक्षण चल रहा है

जी.

एच.

अपीलार्थीगण द्वारा दायर किया गया।चूँकि मृतक सशस्त्र नहीं थे, इसलिए अपीलार्थीगण निजी बचाव के अधिकार के हकदार नहीं हैं।

18. मृतक के सीने पर चाकू के कई घाव थे।चूंकि कई घाव हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थीगण ने पूर्व-ध्यान के बिना पल भर में काम किया है और अपीलार्थीगण का कोई फायदा नहीं उठाया गया है या क्रूर या असामान्य तरीके से काम नहीं किया गया है। यह एक भी चोट का मामला नहीं है जिसका अनुमान अचानक लड़ाई के कारण लगाया जा सकता है।इसलिए, हम इस वैकल्पिक तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि अपीलार्थीगण भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 304 के तहत दोषी ठहराए जाने के हकदार हैं क्योंकि उन्होंने मृतक के महत्वपूर्ण हिस्सों पर कई चोटें दी हैं।विद्वत विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए अपीलार्थीगण को दोषी ठहराने और सजा देने में कानून में पूरी तरह से उचित था। हम पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं जो वर्तमान अपील में हमारे हस्तक्षेप की गारंटी दे।आपराधिक अपील खारिज कर दी जाती है।

बी.

सी.

डी.

कल्पना के. त्रिपाठी

याचिका खारिज कर दी गई।

ई.

एफ.

जी.

एच.